

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 17/2019

अपीलान्ट्स

बनाम

रेस्पॉडेन्ट

तहसीलदार, मुण्डवा

- 1लिछमणसिंह पुत्र अमरसिंह के का.मु.
1/1मनोहरकंवर पत्नी लिछमणसिंह 1/2शियानसिंह 1/3लादूसिंह 1/4सुरेन्द्रसिंह
पुत्रान लिछमणसिंह जातियान राजपूत निवासीगण रुण तहसील मुण्डवा।
2हडमानसिंह पुत्र अमरसिंह के का.मु.
2/1विमलाकंवर पत्नी हडमानसिंह 2/2संजूकंवर पुत्री हडमानसिंह
2/3भवानीसिंह 2/4जुगोन्द्रसिंह पुत्रान हडमानसिंह
2/5हंसाकंवर पुत्री हडमानसिंह 2/6ताराकंवर पुत्री हडमानसिंह
2/7मनफूलकंवर पुत्री हडमानसिंह 2/8धनफूलकंवर पुत्री हडमानसिंह
जातियान राजपूत निवासीगण रुण तह. मुण्डवा
3भैरूसिंह पुत्र अमरसिंह के का.मु.
3/1इचरजकंवर पत्नी भैरूसिंह 3/2भंवरसिंह 3/3ललितसिंह पुत्रान भैरूसिंह
3/4अंजूकंवर पुत्री भैरूसिंह 3/5राजेन्द्रसिंह 3/6हेमसिंह 3/7हुकमसिंह
पुत्रान भैरूसिंह जातियान राजपूत निवासीगण रुण तहसील मुण्डवा
4पेमसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत 5रघुवीरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत
6गुलाबकंवर पत्नी स्व. सोपालसिंह जाति राजपूत 7फारूख पुत्र अहमद जाति मुसलमान
मुमताज पत्नी फारूख जाति मुसलमान
8सिकन्दर पुत्र उस्मान के का.मु.
8/1रुकया पत्नी सिकन्दर 8/2नगमा पुत्री सिकन्दर 8/3रजिया पुत्री सिकन्दर
8/4गुलाम दस्तगीर पुत्र सिकन्दर 8/5आलमगीर पुत्र सिकन्दर 8/6जनत पुत्री सिकन्दर
8/7मापरा पुत्री सिकन्दर जातियान मुसलमान
9रसीद पुत्र अहमद जाति मुसलमान 10रहमत पत्नी रसीद जाति मुसलमान
11कमरुदीन पुत्र अमीरदीन के का.मु.
11/1मेहरून पत्नी कमरुदीन 11/2शरीफ 11/3अरबअली 11/4रजबअली 11/5इमरान
11/6अल्ताब पुत्रान कमरुदीन जातियान मुसलमान
11/7नदमा पुत्री कमरुदीन 11/8सुमया पुत्री कमरुदीन 11/9सुफिया पुत्री कमरुदीन
11/10रुकसाना पुत्री कमरुदीन जातियान मुसलमान
निवासीगण रुण तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :-

1. श्री गणपतराज कांगसिया अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया, अधिवक्ता रेस्पॉडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 09.11.2020

{1}-अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा के प्रकरण सं. 37/18 सरकार बनाम लिछमणसिंह के का.मु. मनोहरकंवर वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 10.12.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.03.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 24.04.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पॉडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट्स ने अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के निर्णय दिनांक 10.12.18 की फोटोप्रति, तहसीलदार मुण्डवा द्वारा पटवारी रुण को लिखे पत्र दिनांक 31.7.18 की फोटोप्रति, पटवारी रुण की जांच रिपोर्ट की फोटोप्रति, मेहरून को प्रेषित नोटिस की फोटोप्रति, रुकया को प्रेषित नोटिस की फोटोप्रति, पटवारी द्वारा जारी सनद जमा रसीदों की फोटोप्रतियां, ग्राम रुण के नामान्तरकरण सं. 6483 दिनांक 9.8.18 की फोटोप्रति, ग्राम रुण की चालू खतौनी संवत 2071-74 की फोटोप्रति, सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के आदेश दिनांक 4.1.02 तथा पत्र दिनांक 26.6.02 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट्स ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(I)-अपीलाधीन निर्णय, अवैध, विधि विरुद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)-अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 24.9.18 को अपीलान्ट कमरुदीन, लिछमणसिंह, भैरूसिंह, हडमानसिंह तथा


अपर कलक्टर, नागौर

सिकन्दर की फौतगी सूचना प्राप्त हो गई थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इनके विधिक कायममुकाम (वारिसान) को नोटिस जारी नहीं किये गये।

{2}(III)—अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के विधिक कायममुकाम को नोटिस जारी किये बगैर तथा मृतक अपीलांट के विधिक वारिसान को साक्ष्य सबूत पेश करने के अवसर दिये बगैर एवं उनको रेकर्ड पर लिये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध होने से भी अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)—अपीलाधीन प्रकरण मे प्रशासन गांव के संग अभियान मे सहायक कलक्टर (मु.) नागौर द्वारा आवंटन/सलाहकार कमेटी की सिफारिश के अनुसार अपीलांट कमरुदीन, अहमद तेली, सिकन्दर वगैरा के नाम उपरोक्त वादग्रस्त अपीलाधीन खसरो की भूमि आवंटित/नियमित की जाकर इनको मौके पर कब्जा सुपुर्द किया जाकर प्रत्येक से 5 रु. सनद फीस वसूल किये जाने को आदेश तत्कालीन तहसीलदार व पटवारी को दिया था।

{2}(V)—इस आदेश की पालना मे सहायक कलक्टर (मु.) नागौर ने दिनांक 4.1.02 को तत्कालीन तहसीलदार को पत्र प्रेषित कर आदेशित किया कि आवंटन/सलाहकार कमेटी की सिफारिश के अनुसार अपीलांट को वादग्रस्त खसरो की भूमि का नियमानुसार कब्जा सुपुर्दकर पालना रिपोर्ट की जावे।

{2}(VI)—राजस्व मंडल अजमेर के न्याय दृष्टांत आरआरटी 2016(1) पेज 340 बअनवान जगन्नाथ बनाम राज्य मे पारित निर्णय के अनुसार "राज. भू राजस्व (कृषि भूमि के आवंटन) के नियम 18 के अनुसार दिनांक 19.6.81 को भूमि आवंटित की— खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये और अभी भी वह गैर खातेदार दर्ज है — प्रार्थी भूमि के कब्जे काश्त मे है— राजस्व अधिकारियों ने प्रावधानों की पालना नहीं की और यह उनका दायित्व था — निर्णीत, खातेदारी अधिकार प्रदान करने का तहसीलदार को निर्देश दिया।"

इसी प्रकार राजस्व मंडल अजमेर के अन्य न्याय दृष्टांत आरआरटी 2016(1) पेज 559 बअनवान भीकाराम बनाम राज्य मे पारित निर्णय के अनुसार नियम 18 के अनुसार "दिनांक 6.12.78 को प्रार्थी के नाम भूमि नियमन की — लंबा समय बीत जाने के बाद भी गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार दर्ज नहीं किये — तीन वर्ष बाद खातेदारी अधिकार दर्ज करने का तहसीलदार का कर्तव्य — प्रार्थी निरंतर रूप से भूमि काश्त कर रहा है — निर्णीत निर्देश दिये।"

चूंकि सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के आदेश के बावजूद भी राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने विधिक कर्तव्यों की पालना नहीं जिसके कारण अपीलांट को दण्डित नहीं किया जा सकता है। चूंकि तहसीलदार व पटवारी रूण ने सहायक कलक्टर (मु.) के आदेश की पालना नहीं की। जिस कारण अपीलांट द्वारा पुनः तहसीलदार मुण्डवा के समक्ष दिनांक 4.7.18 को उक्त आदेश की पालना मे वादग्रस्त भूमि के नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत आवेदन पेश किया।

{2}(VII)—अपीलांट के आवेदन तथा तत्कालीन सहायक कलक्टर (मु.) नागौर की पालना द्वारा तत्कालीन तहसीलदार एवं पटवारी रूण द्वारा प्रत्येक अपीलांट से सनद फीस वसूल की गई तथा अपीलांट के नाम म्यूटेशन सं. 6483 दर्ज किया गया। इस प्रकार पटवारी द्वारा आवंटन/सलाहकार कमेटी की सिफारिश तथा सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के आदेश की पालना मे अपीलांट से सनद राशि वसूल कर प्राप्त करना ही सनद जारी करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो अपने आप मे सनद के समान है।

{3}—राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि तहसीलदार द्वारा ग्राम रूण के नामान्तरकरण सं. 6483 दिनांक 09.08.18 तहसीलदार मुण्डवा के आदेश दिनांक 31.7.18 व सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के आदेश दिनांक 29.6.02 के आधार पर भरा गया है। उक्त व्यक्तियों/वारिसान का आराजी भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। न ही उनके पक्ष मे आवंटन के आधार पर कोई सनद ही जारी हुई। राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन/नियमन हेतु दिनांक 1.6.02 से 30.6.02 तक सलाहकार समिति की बैठके आयोजित कर भूमि आवंटन/नियमन की कार्यवाही की गई थी। उक्त अवधि के दौरान शासकीय परिपत्र क्रमांक प.6(6)राज-6/97/7 दिनांक 27.8.01 के द्वारा काजरी द्वारा मृदा सर्वेक्षण मेन्युअल के अनुसार भूमि की 8 श्रेणियां निर्धारित की गई। उनमे से 1-4 तक ही श्रेणियों मे आने वाली भूमियों का आवंटन/नियमन किया जा सकता था। जिसके लिये अलाटमेंट क्लीरेन्स कमेटी द्वारा चिन्हित भूमि का आवंटन हेतु अनुमोदन के पश्चात ही आवंटन/नियमन की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। मगर इस मामले मे ऐसी कोई कार्यवाही नहीं किये

जाने से आवंटन/नियमन आदेश विधि विरुद्ध रहा है तथा आवंटन व नियमन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के तहत प्रकरण का पुनरावलोकन कर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो विधि सम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[4]—उभय पक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार मुण्डवा के आदेश क्रमांक भूअ/2018/2325 दिनांक 31.7.18 व सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के पत्रांक 129 दिनांक 26.6.02 का हवाला देते हुए लिछमणसिंह, पेमसिंह, हडमानसिंह, रघुवीरसिंह, भैरूसिंह पिता अमरसिंह के नाम ग्राम रूण के खसरा नं. 1975 रकबा 1.15 बीघा व गुलाबकंवर पत्नी सोपालसिंह के नाम ग्राम रूण के खसरा नं. 2693 रकबा 0.015 बीघा व खसरा नं. 2690 रकबा 1.03 बीघा, फारूख पुत्र अहमद, मुमताज पत्नी फारूख के नाम खसरा नं. 258 रकबा 5 बीघा व सिकन्दर पुत्र उस्मान, रूकया पत्नी सिकन्दर के नाम ग्राम रूण के खसरा नं. 2575 रकबा 4.07 बीघा, रसीद पुत्र अहमद, रहमत पत्नी रसीद के नाम ग्राम रूण के खसरा नं. 269 रकबा 2.03 बीघा व कमरुद्दीन पुत्र अमीरद्दीन, मेहरून पत्नी कमरुद्दीन के नाम ग्राम रूण के खसरा नं. 139 रकबा 1.10 बीघा भूमि बतौर गैर खातेदारी के रूप में अमल दरामद किये जाने का नामान्तरकरण पारित किया गया। उक्त नामान्तरकरण का पुनरावलोकन प्रकरण सं. 37/18 सरकार बनाम लिछमणसिंह व अन्य वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 10.12.2018 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में लिछमणसिंह व अन्य का आराजी पर कब्जा रहा हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार नहीं है। नियमन/आवंटन होने की स्थिति में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत जहां भूमि का आवंटन आदेश की तारीख के एक माह के भीतर आवंटी को वास्तव में नहीं दिया जाता है, वहां आवंटी का कर्तव्य बनता है कि वो जिला कलक्टर को आदेश को प्रवर्तित करने का आवेदन करेगा तथा आवंटन के 15 दिन में भौतिक कब्जा दिये जाने की स्थिति में नियम 15 (3) के अन्तर्गत सनद जारी किये जाने के प्रावधान है। आवंटी अहमद तेली व सिकन्दर तेली अथवा उसके वारिसान द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने हेतु कोई कार्यवाही की गई हो, ऐसा प्रकट नहीं है तथा न ही उनका कभी भी कब्जा रहा है तथा कब्जा नहीं होने की स्थिति में आवंटन पर सनद भी जारी नहीं होना स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश स्वतः ही निष्फल माना जायेगा। राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन/नियमन हेतु दिनांक 1.6.02 से 30.6.02 तक की अवधि के दौरान सलाहकार समिति की बैठके आयोजित कर भूमि आवंटन/नियमन की कार्यवाही राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(6)राज-6/97/7 दिनांक 27.8.01 के द्वारा जिले में स्थित राजकीय सिवायचक भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन की कार्यवाही के निर्देश जारी किये, साथ ही राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(10)राज-6/2002 दिनांक 23.5.2002 व प.6(6)राज-6/97/7 दिनांक 27.5.2002 के क्रम में यह भी निर्देश रहे हैं कि केन्द्रीय रूक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) के मृदा सर्वेक्षण मेन्चुअल के अनुसार भूमि की 8 श्रेणियां मृदा वर्गीकरण के परिणामस्वरूप निर्धारित की गई। जिनमें से आवंटन/नियमन हेतु चिन्हिकरण कर अलाटमेन्ट क्लीरेन्स कमेटी चिन्हित भूमि को आवंटन हेतु अनुमोदन करने के पश्चात ही उक्त अभियान के दौरान आवंटन/नियमन की कार्यवाही की जानी चाहियें मगर इस मामले में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से आवंटन/नियमन आदेश विधि विरुद्ध रहा है तथा आवंटन व नियमन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई। पुनरावलोकन कार्यवाही से पूर्व अपीलांत लिछमणसिंह व अन्य तथा उनके वारिसान को नोटिस दिया जाकर सुनवाई भी की गई है। जिससे पुनरावलोकन आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना भी रेकॉर्ड के अनुसार पाया जाता है। जिससे आदेश जैर अपील में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपीलांटस की अपील ठोस आधारों पर प्रतीत नहीं होती है।

[5]— उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस की अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

[6]— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मनोज कुमार)

अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर